



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर - 492002

दूरभाष (भू. वन): 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्रमांक/भू-पक्ष/विद्युत/479-159/1736

रायपुर, दिनांक 06/06/2018

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
भारत सरकार - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय - वेस्ट सेन्ट्रल रीजन
ईस्टर्न विंग - भू तल, न्यू सेक्रेटेरियेट भवन
NCA के सामने सिविल लाईन
नागपुर - 440001

विषय: - **Diversion of 70.782 ha. Of forest land in favour of CSPTCL for construction of 220 KV Jagdalpur-Barsoor Transmission Line under Forest (Conservation) Act, 1980 in Bastar and Dantewada Districts in the State of Chhattisgarh.**

- पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/TRANS/ 23475 / 2017

संदर्भ: 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक FC-III/CH-25/2018-NGP/ 3561 दिनांक 23.04.2018

2. अ.प्र.मु.व.संरक्षक जगदलपुर वन वृत्त, जगदलपुर का पत्र क्रमांक/ व.त.अ/ 1203 दिनांक 06.06.2018

-0-

संदर्भित पत्र - 1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर द्वारा विषयांकित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति शर्तों को अधिरोपित करते हुए जारी की गई है।

संदर्भित पत्र - 2 के माध्यम से अ.प्र.मु.व.संरक्षक, जगदलपुर वन वृत्त द्वारा शर्तवार पालन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जो निम्नानुसार है:-

क्र.	शर्त	पालन प्रतिवेदन
1	2	3
1	Legal Status of the diverted forest land shall remain unchanged.	उपरोक्त शर्त आवेदक एजेंसी को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्नक - 01 के रूप में संलग्न है।
2	Compensatory afforestation over the degraded forest land, double in extent to the forest land being diverted, shall be raised and maintained by the State. Forest Department at the cost of the User Agency.	उपरोक्त शर्त आवेदक एजेंसी मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्नक - 02 के रूप में संलग्न है।
3	The user Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent year.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि 9,37,54,648.00 रुपये कैम्पा खाते में वेब पोर्टल के माध्यम से जमा की गई है जिसकी वेब जनरेटड भुगतान पत्रक से पुष्टि होती है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र भी संलग्नक - 03 के रूप में संलग्न है।
4	The State Government shall charge the Net Present Value (NVP) of the forest land being diverted under this proposal from the user Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated	प्रत्यावर्तित क्षेत्र रकबा 70.872 हे. का प्रत्याशा मूल्य राशि दन्तेवाड़ा वनमण्डल 4,43,64,933/-रुपये एवं बस्तर वनमण्डल अन्तर्गत 1,71,80,550/-रुपये, योग 6,15,45,483/- रुपये कैम्पा खाते में वेब पोर्टल के

28.03.2008, 21.01.2008 and 09.08.2008 in Writ petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. S-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard.

At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall finish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble supreme Court of India.

माध्यम से जमा की गई है जिसकी वेव भुगतान पत्रक से पुष्टि होती है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र भी संलग्नक 04 के रूप में संलग्न है।
उपरोक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदनुसार आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्नक 05 के रूप में संलग्न है।

All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/demarcation of safety Zone, shall be transferred to Ad-hoc CAMPA, through e-challan, in the Saving Bank Account pertaining to the State concerned.

आवेदक संस्थान द्वारा एनपीवी क्षति औषधीय वृक्षारोपण एवं एवीफौना का कुल 16,43,66,471.00 रुपये कैम्पा खाते में वेव माध्यम से जमा की गई है जिसकी वेव भुगतान पत्रक से पुष्टि होती है। राशि जमा निम्नानुसार है :

S. No.	Head	Forest Division		Total (70.72 Ha.)
		Dantewada (47.247 Ha.)	Bastar (23.535 Ha.)	
1	NPV	4,43,64,933/-	1,71,80,550/-	6,15,45,483/-
2	CA	9,37,54,648/-	-	9,37,54,648/-
3	Medicinal Plantation	59,05,000/-	11,60,000/-	70,65,000/-
4	Avifauna	20,01,340/-	-	20,01,340/-
Total		14,60,25,921/-	1,83,40,550/-	16,43,66,471.00
Total Amount		Rs. 16,43,66,471.00		

आवेदक संस्थान का वचन पत्र भी संलग्न रूप में संलग्न है।

7. No approach road shall be constructed in the forest area for transportation of steel and other material required for the transmission line. As far as possible the User Agency shall use the existing road and the proposed RoW for the transportation of the material and in the event of non-availability of such facilities, the User Agency shall transport material manually without construction of any path.

उपरोक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदनुसार आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्नक - 07 के रूप में संलग्न है।

8. The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की सूची में पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता वाले परियोजनाओं की सूची में विद्युत ट्रांसमिशन लाईन का उल्लेख नहीं है। अतः Environmental (Protection) Act, 1986 के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है जो संलग्नक - 08 के रूप में संलग्न है।

No labour camp shall be established on the forest land.

उपरोक्त शर्त आवेदक एजेंसी को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्नक - 9 के रूप में संलग्न है।

The User Agency shall provide fire wood preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.

उपरोक्त शर्त आवेदक एजेंसी को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्नक - 10 के रूप में संलग्न है।

The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar.

उपरोक्त शर्त आवेदक एजेंसी को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्नक - 11 के रूप में संलग्न है।

The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.

उपरोक्त शर्त आवेदक एजेंसी को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्नक - 12 के रूप में संलग्न है।

The user agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area.

उपरोक्त शर्त आवेदक एजेंसी को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्नक - 13 के रूप में संलग्न है।

Width of right of way for the transmission line shall be limited to 35 m.

उपरोक्त शर्त आवेदक एजेंसी को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्नक - 14 के रूप में संलग्न है।

The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.

उपरोक्त शर्त आवेदक एजेंसी को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्नक - 15 के रूप में संलग्न है।

The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government.

उपरोक्त शर्त आवेदक एजेंसी को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्नक - 16 के रूप में संलग्न है।

The User agency shall install circuit breakers at suitable places besides maintain necessary ground clearance to prevent electrocution of wild animals.

उपरोक्त शर्त आवेदक एजेंसी को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्नक - 17 के रूप में संलग्न है।

Felling of trees shall be restricted to only 2,408 trees, throughout the length of the transmission line while remaining trees of 3,171 will be kept intact by the User Agency. Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department.

आवेदक एजेंसी के द्वारा वन मंडलाधिकारी, दंतेवाडा वन मंडल को 2074 वृक्षों के विदोहन एवं परिवहन कार्य के लिए राशि 76,47,900/- रुपये एवं वन मंडलाधिकारी, बस्तर वन मंडल को 334 वृक्षों के विदोहन एवं परिवहन कार्य के लिए राशि 6,32,908/- रुपये वन मंडलाधिकारियों के पी डी खाते में जमा करायी गई है। शर्त आवेदक एजेंसी को मान्य है तदाशय का वचन पत्र संलग्नक - 18 के रूप में संलग्न है।

To minimize the felling for construction of transmission line, user agency shall comply with the following guidelines.

उपरोक्त शर्त आवेदक एजेंसी को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्नक - 19 के रूप में संलग्न है।

(a) Below each conductor, width clearance of 3 mtr. Would be permitted for carrying the tension stringing equipment. The trees on such strips may be felled but after stringing work is completed, the

उपरोक्त शर्त आवेदक एजेंसी को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्नक - 19 के रूप में संलग्न है।

	natural regeneration will be allowed to come up	उपरोक्त शर्त आवेदक एजेंसी को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्नक - 19 के रूप में संलग्न है।
(b)	One outer strip may be left clear to permit maintenance of the transmission line	उपरोक्त शर्त आवेदक एजेंसी को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्नक - 19 के रूप में संलग्न है।
(c)	In the remaining width the right of way telling pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the local forest officer whenever necessary to maintain the electrical clearance, trees shall be allowed to be felled or lopped to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining the minimum 4.6 meter clearance between conductors and trees. The sag and swing of the conductors are to be kept in view while working out the minimum clearance mentioned as above.	
(d)	User agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line, and provide funds for execution of the said scheme to the State Forest Department, and	औषधीय वृक्षारोपण हेतु दन्तवाडा वनमण्डल द्वारा 59,05,000.00 रुपये एवं बस्तर वनमण्डल द्वारा 11,60,000.00 रुपये कुल राशि 70,65,000.00 रुपये कैम्पा ऑन वेब पोर्टल के माध्यम से जमा की गई है जिसका पालन जनरेटड भुगतान पत्रक से पुष्टि होती है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र भी संलग्नक - 19 के रूप में संलग्न है।
(e)	In case a portion of the transmission lines to be constructed is located in hilly areas, where adequate clearance is already available, trees shall not be cut.	उपरोक्त शर्त आवेदक एजेंसी को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्नक - 19 के रूप में संलग्न है।
20	The User agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project.	आवेदक संस्थान द्वारा 20,01,340/- रुपये कैम्पा ऑन वेब पोर्टल के माध्यम से जमा की गई है जिसका पालन जनरेटड भुगतान पत्रक से पुष्टि होती है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र भी संलग्नक - 20 के रूप में संलग्न है।
21	The State Government shall ensure that Process of settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act-2006, if any, has been completed in accordance with the Guidelines issued by the MOEF & CC in this regard.	उपरोक्त शर्त आवेदक एजेंसी को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्नक - 21 के रूप में संलग्न है।
22	The user agency shall submit six monthly self-compliance reports as on 1st January and 1st July of every year to this office as well as to the Nodal Officer of the State.	उपरोक्त शर्त आवेदक एजेंसी को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्नक - 22 के रूप में संलग्न है।
23	The State Government shall monitor compliance of conditions of Forest clearance and shall submit in this regard	उपरोक्त शर्त वन विभाग से संबंधित है जिसका पालन किया जायेगा। आवेदक संस्थान द्वारा तदाशय का वचन पत्र

yearly report as on 31st December of every year.	संलग्नक - 23 के रूप में संलग्न है।
Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time in the interest of Conservation, protection and development of forests & wildlife.	उपरोक्त शर्त आवेदक एजेंसी को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्नक - 24 के रूप में संलग्न है।
The user agency and the State Government Shall ensure compliance to provisions of the all Acts Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project, and	उपरोक्त शर्त आवेदक एजेंसी को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्नक - 25 के रूप में संलग्न है।
State Government, if so desire may consider the proposal for grant of working permission in accordance with the provisions as contained in the MoEF & CC's Guidelines dated 07.05.2015	उपरोक्त शर्त वन विभाग, छग, शासन से संबंधित है। आवेदक संस्थान द्वारा तदाशय का वचन पत्र संलग्नक - 26 के रूप में संलग्न है।

उपरोक्तानुसार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वन वृत्त, जगदलपुर से प्राप्त उपरोक्त पालन प्रतिवेदन को मान्य करने की अनुशंसा की जाती है। कृपया प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अंतिम चरण की स्वीकृति शीघ्र जारी करने का अनुरोध है।

संलग्न - समस्त संलग्नक, वचन पत्र तथा वेब जनेरेटेड भुगतान पत्रक

(आर.के. सिंह)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 12/06/2018

क/भू-प्रबंध/विद्युत/479-159/1797

प्रतिनिधि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कैम्पा), छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।

3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (मा.स.वि/सू.प्रौ), छत्तीसगढ़। इस पत्र को तथा संदर्भ-1 के पत्र को वेबसाइट पर अपलोड कराकर सूचित करने का अनुरोध है।

संलग्न - संदर्भ-1 की छायाप्रति

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (उत्पादन) छत्तीसगढ़। आपके पत्र क/14/उत्पा.1/770/953 दिनांक 25.05.2018 के अनुक्रम में वृक्ष विदोहन की अनुमति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।

लीनियर प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के गाइडलाइन दिनांक 07.05.2015 के अंतर्गत प्रथम चरण स्वीकृति में जारी शर्तों की पालन के शर्त पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़ के स्वीकृति के प्रत्याशा में वन मंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा वन मंडल को 2074 वृक्षों के विदोहन एवं परिवहन कार्य के लिए राशि 76,47,900/- रुपये एवं वन मंडलाधिकारी, बरतर वन मंडल को 334 वृक्षों के विदोहन एवं परिवहन कार्य के लिए राशि 6,32,908/- रुपये पी.डी. खाते से आहरण की

एव कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह अनुमति एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी। वन मंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा / बरतर वन मंडल, छत्तीसगढ़। यह कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित जॉबदर एवं निर्धारित नामर्स के अधीन कराया जायेगा एवं किये गये व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

कार्यपालन अभियंता, 400 के. व्ही लाईन निर्माण संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित कांकर, जिला कांकर, छत्तीसगढ़।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छत्तीसगढ़

o/c

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम : छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कम्पनी)

कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)-U40108CT2003SGC015820

कार्यालय कार्यपालन अभियंता 400 के०व्ही० लाईन निर्माण संभाग

कार्यालय: एकता नगर, टेल्काबोर्ड कांकेर-494334 (छ.ग.), दूरभाष क्रमांक- 07888222054, ई-मेल-EE400K.V.L.C.Kanker@csptcl.gov.in

का.यं./400के.व्ही./ला.नि.सं./183

कांकेर,दिनांक 26/05/2018

वनमंडलाधिकारी एवं नोडल अधिकारी,
सामान्य वनमंडल दन्तेवाड़ा,
जिला-दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

Diversion of 70.782 ha. of forest land in favour of CSPTCL for construction of 220 KV Jagdalpur – Barsoor Transmission line under Forest (Conservation) Act, 1980 in Bastar and Dantewada District in the State of Chhattisgarh- आनलाईन पंजीयन क्र. FP/CG/TRANS/23475/2017.

(1) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र क्रमांक FC-III/CH-25/2018-NGP/3561 दिनांक 23.04.2018.

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने सादर अनुरोध है। तदानुसार प्रस्तावित 220 के०व्ही० जगदलपुर-बारसूर डी०सी०डी०एस० पारेषण लाईन के 70.782 हे. वन भूमि के पर्यावरण प्रस्ताव में प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन पृथक-पृथक मय सहपत्रों के चार प्रतियों में तैयार कर सादर प्रस्तुत है। उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर अनुरोध है।

संलग्न- तदैव।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
छत्तीसगढ़, रायपुर
कार्यपालन अभियंता
400 के०व्ही० लाईन निर्माण संभाग
छ०स्टे०पॉ०ट्रान्स०कं०लिमि०,कांकेर

- संकेतित:-
- (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. शासन नया रायपुर।
 - (2) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त जगदलपुर।
 - (3) मुख्य अभियंता (नि. एवं ला. सं.) छ०स्टे०पॉ०ट्रान्स०कं०लिमि०, रायपुर।
 - (4) अति. मुख्य अभियंता (नि. एवं ला. सं.) वृत्त, छ०स्टे०पॉ०ट्रान्स०कं०लिमि०, रायपुर।
 - (5) वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल बस्तर।
 - (6) सामान्य अभियंता 400 के०व्ही० लाईन निर्माण, मुख्यालय, जगदलपुर।